

4/4/19

पत्रावली पेश हुई परिष्कार के  
 अधिनियम अर्थात् है। जहाँ रामलाल  
 स्वयं अधिनियम है तथा पत्रावली में  
 आगे कार्यवाही नहीं कराया जाता है।  
 जहाँ रामलाल की पहचान परिष्कार  
 के अधिनियम द्वारा की गयी। जहाँ  
 रामलाल पत्रावली में आगे कार्यवाही  
 नहीं चाहता है। तथा पुनर्जांच के  
 स्तर पर खासियत (वगैरह) किया जायें।  
 उक्त पत्रावली मूल पत्रावली सं 57/18  
 के साथ संलग्न की जावे। बाद रामलाल  
 पत्रावली मिलित सुधार लेकर नवंबर  
 से कम ही दफ्तर में दरखास्त प्रेषित  
 किया जावे।  
 विषय सुनाया गया।

आगे कार्यवाही  
 फाग चाल  
 रामलाल  
 Identifi-  
 फाग

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
 रायपुर (मीलवाड़ा)